

अमर उजाला

लाखों की दवाएं जब्त, मेडिकल स्टोर सील



त्रिवेदीगंज (बाराबंकी)। कस्बे में संचालित एक मेडिकल स्टोर पर बृहस्पतिवार को सहायक आयुक्त औषधि अयोध्या मंडल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने छापा मारा। जांच दौरान पाया गया कि मेडिकल स्टोर का संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा था। टीम ने मौके पर मौजूद साढ़े तीन लाख की दवाएं जब्त करते हुए मेडिकल स्टोर को सील करा दिया है और दुकान से छह दवाओं के नमूने भरकर जांच को भेजे हैं।

सहायक आयुक्त औषधि अयोध्या मंडल जीसी श्रीवास्तव के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक अयोध्या सुमित वर्मा, औषधि निरीक्षक सीमा सिंह की टीम ने त्रिवेदीगंज में संचालित राजकुमार मिश्रा के मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। औषधि निरीक्षक सीमा ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि मेडिकल स्टोर का संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा था। इसके साथ ही प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री भी की जा रही थी।

जांच में दुकान से करीब साढ़े तीन लाख की दवाएं बरामद हुईं। बताया कि प्रतिबंध के बावजूद ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री दुकान से की जा रही थी। इस पर मौके से बरामद सभी दवाओं को जब्त कर लिया गया है और मेडिकल स्टोर का सील कराते हुए छह दवाओं के नमूने भरकर जांच को भेज दिया गया है। जांच की जा रही है जल्द ही न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/barabanki/medical-store-seal-barabanki-news-lko657674370>